**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा**
E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

मिसल नम्बर – 2015/00174

1. पन्नालाल पुत्र स्व0 धन्ना उर्फ धन्नालाल, आयु, वर्ष
2. दौलतराम पुत्र श्री कंवरलाल
3. चेतराम पुत्र श्री कंवरलाल

जाति लश्करी, निवासीगण ग्राम ताथेड़ की झोपड़ियां तहसील लाडपुरा जिला कोटा

**बनाम**

1. छीतरलाल पुत्र स्व0 गोपाल
2. उच्छव लाल पुत्र स्व0 गोपाल, जाति धाकडत्र निवासीगण सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3.स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितिः–

वादीगण अधिवक्ता श्री बद्री प्रकाश शर्मा
प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह राठौड़

**निर्णय** दिनांक 04.12.2024

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 183 )

वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रंगतालाब में ग्राम रंगतालाब में पुराना खसरा नं0 की आराजी खसरा नं0 190 की रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसके संयुक्त खातेदार वादीगण के पिता एवं दादा स्वर्गीय धन्ना जी थे और जो पारिवारिक मौखिक विभाजन में धन्ना जी को प्राप्त हुई थी। उक्त सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नं0 190 का नया खसरा नं0 145 तथा 145/468 बनाया गया तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि धन्ना जी के स्थान पर गोपाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़ के खाते दर्ज कर दी गई, जिसे करने का सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकॉर्ड में की गई ये गलती प्रारंभ से ही कानूनी रूप से प्रभावशून्य है, जिसे सही कर वर्तमान खसरा नं0 219 रकबा 1.49 हैक्टेयर को प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जावे। वाद दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया जाए और अप्रार्थीगण द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा तथ्यों को पूर्ण रूप से छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजी माधो, धन्ना, भंवरियां पुत्र कालू जी लश्करी के खाते

दर्ज थी तीनों खातेदारान द्वारा उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वर्गीय गोपाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़ को 4 मई 1953 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी इंतकाल संख्या 807 से गोपाल जी के खाते दर्ज हुई थी। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने से पहले का है। उक्त आराजी के वर्तमान सेटलमेंट के नए खसरा नं0 219 रकबा 1.49 हैक्टेयर कायम किए गए है। उक्त आराजी स्वर्गीय श्री गोपाल जी के स्वर्गवास के उपरांत प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते दर्ज की गई है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी खातेदारान माधो, धन्ना व भंवरियां द्वारा अपने जीवनकाल में ही बेचान की जा चुकी थी अतः उक्त आराजी में उनके समस्त हक व अधिकार समाप्त हो गए हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित हुए, बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वादीगण द्वारा पूर्णतः गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है अतः वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पर्याप्त मौका दिए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहें। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि भूमि माधो, धन्ना व भंवरियां के खाते दर्ज थी, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गोपाल पुत्र रूघनाथ के खाते दर्ज हुई। उक्त बेचान 8/05/1953 को निष्पादित हुआ था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही गोपाल का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ। उक्त तथ्यों से प्रमाणित है कि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है तथा उन्हें प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92 ए और 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★